(253)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2020 / 01 दिनांक : 4/5/2020

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 20–03–2020 को सांय 4:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

1.	श्री भास्कर ए.सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री लेखराज जागृत	निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	श्री नरेन्द्र बोहरा	अति0मु0 अभियंता–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जोधपुर	सदस्य
6.	श्री मनोज गुप्ता	अति0मु0 अभियंता–तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती कश्मी कौर	मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य, सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्रीमती प्रीति सिंह पंवार, सम्पदा प्रबन्धक (मु.), रा0आ0म0, जयपुर।
2. श्री अनिल कुमार माथुर, अति. मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री आर.सी.जैन, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री सीताराम बारी, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर
5. श्री अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 31–12–2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 31–12–2019 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	CEM
2	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 31–12–2019 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 31–12–2019 के निर्णयों के अवलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत बैठक के बिन्दु संख्या–3 में वूमैन ऑफ इण्डिया शोईंग ह्युमिनीटी (आंचल), जयपुर को अनाथ आश्रम के लिए मण्डल की मानसरोवर योजना में 1100 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। आवंटन नीति–2015 के अनुसार अनाथ आश्रम के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः संस्था को आवंटित भूमि 1000 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर अधिक होने के कारण आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के नोट का बिन्दु–3 के अनुसार राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM

(254)

3	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, जयपुर को मानव जाति का सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्राचीन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु सेक्टर–18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में भूखण्ड संख्या–1 क्षेत्रफल 1505.56 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड संख्या–4 क्षेत्रफल 1172.72 वर्ग मीटर प्रस्तावित किये है, जो आवंटन के सम्बंध मे विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, जयपुर को मानव जाति का सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्राचीन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु सेक्टर–18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में भूखण्ड संख्या–1 क्षेत्रफल 1505.56 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड संख्या–4 क्षेत्रफल 1172.72 वर्ग मीटर (कुल क्षेत्रफल 2678.28 वर्ग मीटर) भूमि को नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1037(iii) /1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर वं अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही संस्था द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.3 के तहत आवेदन किया गया है। अतः आवंटन नीति के बिन्दु संख्या–8.5 के अनुसार राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया। यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	DHC-I, JAIPUR
4	उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री दाधीच समाज सेवा समिति, जयपुर को सेक्टर–6, हीरा पथ मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में 677.13 वर्ग मीटर भूमि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के सम्बंध मे विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री दाधीच समाज सेवा समिति, जयपुर को सेक्टर–6, हीरा पथ मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में 677.13 वर्ग मीटर भूमि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के प्रयोजनार्थ नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	DHC-II, JAIPUR

255

5	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री अग्रवाल समाज चौरासी प्रवासी, जयपुर को सेक्टर–9 मानसरोवर आवासीय योजना में 1665.72 वर्ग मीटर भूमि कामकाजी महिला / बालिका छात्रावास एवं वृद्धाश्रम हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है तथा मण्डल नियमानुसार वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर संस्था को आवंटन करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री अग्रवाल समाज चौरासी प्रवासी, जयपुर को सेक्टर–9 मानसरोवर आवासीय योजना में 1665.72 वर्ग मीटर भूमि कामकाजी महिला / बालिका छात्रावास एवं वृद्धाश्रम हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया है। मण्डल द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं की जाती है। मण्डल द्वारा जारी पत्र के क्रम में संस्था के निवेदन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 4.5 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं बतायी गयी एवं संस्था के द्वारा संचालित बालिका छात्रावास की मौका रिपोर्ट में संतोषप्रद एवं सराहनीय कार्य होने की सूचना पत्र दिनांक 17–02–2020 एवं 24–02–2020 के द्वारा मण्डल को अवगत करवाया गया। जिनके अनुरूप प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। अतः प्रस्तावित भूमि को नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1037(iii) / 1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के नोट का बिन्दु संख्या–3 के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया। यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	DHC-II, JAIPUR
6	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री ऋषिकेश शर्मा को आवंटित आवास संख्या 14 / 160, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में खाली पड़ी स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 7.00+4.30/2 X15.80 M = 89.27 वर्ग	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री ऋषिकेश शर्मा को आवंटित आवास संख्या 14 / 160, मालवीय नगर, जयपुर के साईड में खाली पड़ी स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 7.00+4.30/2 X15.80 M = 89.27 वर्ग मीटर नक्शे में पूर्व में ही दर्शाई हुई है, जिस पर आवंटी द्वारा कम्पाउण्ड	DHC-III, JAIPUR

256

	मीटर नक्शे में पूर्व में ही दर्शाई हुई है, जिस पर आवंटी द्वारा कम्पाउण्ड दीवार बनाकर कब्जा किया हुआ है। प्रस्ताव आवंटन हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	दीवार बनाकर कब्जा किया हुआ है। उक्त अतिरिक्त भूपट्टी को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1019/1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मौके पर आवंटी द्वारा चार दीवारी कर कब्जा कर रखा है इसलिए मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूल की जावें।	
7	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री उमेश देवरा को आवंटित आवास संख्या 3/403, कमला नेहरू नगर, पाली के पास रिक्त अतिरिक्त भूमि लगभग 125.84 वर्ग मीटर जो कि त्रिभूजाकार स्थिति में है, जिसका उपयोग मण्डल द्वारा नहीं किया जा सकता है, जो आवंटन के लिए विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री उमेश देवरा को आवंटित आवास संख्या 3/403, कमला नेहरू नगर, पाली के पास रिक्त अतिरिक्त भूमि लगभग 125.84 वर्ग मीटर जो कि त्रिभूजाकार स्थिति में है, जिसका उपयोग मण्डल द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त भूपट्टी को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1019/1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया यदि आवंटी द्वारा मौके पर अतिरिक्त भू–पट्टी पर पक्का निर्माण किया हुआ हो तो मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूलनीय होगी।	DHC-II, JODHPUR
8	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री शशि कान्त शर्मा को आवंटित आवास संख्या 6/386, मालवीय नगर, जयपुर में परियोजना समिति की 159वीं बैठक दिनांक 13–02–2020 में हुए निर्णय की अनुपालना में आवास संख्या 6/386 एवं वर्तमान सड़क के मध्य उपलब्ध अतिरिक्त भूमि 75.83 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकती है, का उल्लेख किया है, जो मौके पर उपलबध 75.83 वर्ग मीटर नियमानुसार मण्डल की	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री शशि कान्त शर्मा को आवंटित आवास संख्या 6/386, मालवीय नगर, जयपुर में परियोजना समिति की 159वीं बैठक दिनांक 13–02–2020 में हुए निर्णय बिन्दु संख्या–14 की अनुपालना में आवास संख्या 6/386 एवं वर्तमान सड़क के मध्य अतिरिक्त 75.83 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध बतायी है। जिसके आवंटन की अनुशंषा उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा की गयी है। अतः अतिरिक्त भू–पट्टी को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1019/1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने	DHC-III, JAIPUR

(250)

	वर्तमान दर पर आवंटन हेतु प्रस्ताव निर्याणर्थ प्रस्तुत किया है।	का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	
9	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार डॉ. के.जी. दायमा को आवंटित आवास संख्या 5–बी–1, विज्ञान नगर, कोटा के आवेदक डॉ. के.जी. दायमा को दिनांक 08.06.1983 की लॉटरी में आवंटित किया गया था। उक्त आवास के पीछे 101.44 वर्ग मीटर भ–पट्टी उपलब्ध है। इस्टुमेन्टेशन की बाउड्री से उक्त आवास के पीछे स्थित भूमि पर विद्युत लाईन गुजर रही है। विद्युत लाईन के तार हटा दिये गये है तथा 5–बी–1 से 5–बी–6 तक विद्युत पोल बिना तारों के अभी विद्यमान है। अतिरिक्त 101.44 वर्ग मीटर भू–पट्टी का प्रस्ताव आवंटन के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार डॉ. के.जी. दायमा को आवंटित आवास संख्या 5–बी–1, विज्ञान नगर, कोटा को दिनांक 08.06.1983 की लॉटरी में आवंटित किया गया था। उक्त आवास का वास्तविक क्षेत्रफल 429.53 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया था तथा आवास के पीछे 101.44 वर्ग मीटर भू–पट्टी उपलब्ध है। इस्टुमेन्टेशन की बाउड्री से उक्त आवास के पीछे स्थित भूमि पर विद्युत लाईन गुजर रही है। विद्युत लाईन के तार हटा दिये गये है तथा 5–बी–1 से 5–बी–6 तक विद्युत पोल बिना तारों के अभी विद्यमान है। अतिरिक्त भू–पट्टी 101.44 वर्ग मीटर को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1019/ 1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि आवंटी द्वारा मौके पर अतिरिक्त भू–पट्टी पर पक्का निर्माण किया हुआ हो तो मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3) लागत/1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूलनीय होगी।	DHC-KOTA
10	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री शम्भू नारायण पाठक को आवंटित आवास संख्या 50/230, प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना सेक्टर–5 से लगती हुई भूपट्टी की लम्बाई 9 मीटर व चौड़ाई (4.10+1.70/2) जिसका क्षेत्रफल =26.10 वर्ग मीटर रिक्त है। प्रस्ताव आवंटन के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री शम्भू नारायण पाठक को आवंटित आवास संख्या 50/230, प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना सेक्टर–5 जिसका मानक क्षेत्रफल 36.00 वर्ग मीटर है, से लगती हुई भूपट्टी की लम्बाई 9 मीटर व चौड़ाई (4.10+1.70/2) जिसका क्षेत्रफल =26.10 वर्ग मीटर भूमि को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1019/1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि आवंटी द्वारा मौके पर अतिरिक्त भू–पट्टी पर पक्का निर्माण किया हुआ हो तो मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर	DHC-I, JAIPUR

258

		की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूलनीय होगी।	
11	मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर के सेक्टर–11 में निर्मित सामुदायिक भवन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को निःशुल्क उपलब्ध/आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर के सेक्टर–11 में निर्मित सामुदायिक भवन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को बजट घोषणा बिन्दु संख्या–113 में जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क उपलब्ध/आवंटन करने करने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। समिति द्वारा सर्वसम्मति लिये गये निर्णय की पुष्टी की गयी।	DHC-II, JAIPUR
12	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18–10–2019 के निर्णय बिन्दु संख्या 05 में नोबेल नेशनल पब्लिक स्कूल को मानसरोवर आवासीय योजना में बालिका उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ 2000.00 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गयी। संस्था के निवेदन पर भूमि आवंटन के उद्देश्य में संशोधित करते हुए उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ कर कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020 /1329 दिनांक 05–02–2020 के द्वारा स्वीकृति जारी की गयी, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18–10–2019 के निर्णय बिन्दु संख्या 05 में नोबेल नेशनल पब्लिक स्कूल को मानसरोवर आवासीय योजना में बालिका उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ 2000.00 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गयी। संस्था के निवेदन पर भूमि आवंटन के उद्देश्य में संशोधित करते हुए उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ कर कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020 /1329 दिनांक 05–02–2020 के द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गयी थी। प्रकरण में लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय की पुष्टी की गयी।	DHC-II, JAIPUR
13	उप आवासन आयुक्त, वृत्त- द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर, जयपुर को शिप्रा पथ, मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में 2000 वर्ग मीटर भूमि रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर हेतु आवंटन करने के सम्बंध मे विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार दी इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर, जयपुर को शिप्रा पथ, मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में भूखण्ड–ई जिसका क्षेत्रफल 1490.89 वर्ग मीटर भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर के लिए नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 8.5 के अनुसार राज्य सरकार से भी सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।	DHC-II, JAIPUR

(259)

		यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	
14	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जागृति एज्यूकेशन संस्थान, ब्यावर को गढ़ी थोरियाज, ब्यावर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए 2514 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जागृति एज्यूकेशन संस्थान, ब्यावर को गढ़ी थोरियाज, ब्यावर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए 2514 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्थगित (Deffer) करने का निर्णय लिया गया एवं उपलब्ध भूमि के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से भी प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।	DHC-II, JAIPUR
15	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार उत्तराखण्ड समाज (रजि.), जयपुर को सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व वृद्धजन/ पर्यावरण संरक्षण हेतु सेक्टर–28, प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या–11 क्षेत्रफल 953.80 वर्ग मीटर है, जो आवंटन हेतु उपलब्ध बताया है। मण्डल नियमानुसार वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर संस्था को आवंटन करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार उत्तराखण्ड समाज (रजि.), जयपुर को सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व वृद्धजन/पर्यावरण संरक्षण हेतु सेक्टर–28 प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या–11 क्षेत्रफल 953.80 वर्ग मीटर भूमि को नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	DHC-I, JAIPUR
16	श्री बसन्त राज बिड़ला, निदेशक, बिड़ला प्रोपर्टीज प्रा. लि. को मानसरोवर योजना में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 21/04, मानसरोवर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूपट्टी 56.59 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री बसन्त राज बिड़ला, निदेशक, बिड़ला प्रोपर्टीज प्रा. लि. को आवंटित आवासीय आवास संख्या 21/04, मानसरोवर, जयपुर के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूपट्टी 56.59 वर्ग मीटर भूमि को मण्डल की परियोजना समिति की 159वीं दिनांक 13–02–2020 के निर्णय बिन्दु संख्या–7 के अनुसार प्रस्तावित भूमि को रोटरी के स्थान पर टी–जंगशन में [illegible]र्तन का निर्णय लिया	DHC-II, JAIPUR

		गया। अतः प्रस्तावित अतिरिक्त भू–पट्टी वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3) लागत/ 1019/1241 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि आवंटी द्वारा मौके पर अतिरिक्त भू–पट्टी पर पक्का निर्माण किया हुआ हो तो मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3) लागत/1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूलनीय होगी।	
17	आर.जी.मेमोरियल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर को राज आंगन योजना, प्रताप नगर, सांगारनेर में 2500 वर्ग मीटर भूमि कौशल विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवंटन का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, जयपुर द्वारा आर. जी. मेमोरियल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर को राज आंगन योजना, प्रताप नगर, सांगारनेर में 2377.36 वर्ग मीटर एवं 2140.04 वर्ग मीटर भूमि के भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध बताये है। समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विर्मश कर 2377.36 वर्ग मीटर भूमि संस्था को कौशल विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु आई.टी.आई. के समकक्ष मानते हुए नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/ 1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यदि संस्था मण्डल अथवा राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिए निवेदन करती है तो भूमि आवंटन के निर्णय को वापस सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के समक्ष रखा जाकर भूमि आवंटन के निर्णय पर पुर्नविचार करने की कार्यवाही की जायेगी।	DHC-I, JAIPUR

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

नोटः– नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 29–04–2020 के अनुसार भूमि आवंटन के निर्णयों के पश्चात् राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही आवंटन पत्र/कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

261

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–(मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0मु0अभि0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज0आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, वृत्त................राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
10. आवासीय अभियंता ...., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
11. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
12. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), राज0आ0मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक